16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्षकारान

उप० उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी में वादिनी संख्या 1 के पति एवं वादीगण 2 लगायत 5 के पिता का नाम गलत रूप से गेंदा पुत्र हजारी दर्ज हो रहा है जबकि उसका सही नाम अंदर सिंह पिता हजारी है। वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुए अभिभाषक वादी ने प्रार्थना की उक्त नाम को दुरुस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में गेंदा पुत्र हजारी के स्थान पर अंदर सिंह पिता हजारी दर्ज किया जाए। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 110 ग्राम- कुण्डीवेड़ हल्का खास्यां सम्वत् 2074-77, स्वंय का आधार कार्ड की प्रति, अंदर सिंह के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है।

पैरोकार सरकार ने वादी के प्रार्थना पत्र से असहमति जताते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करता हो कि अंदर सिंह एवं गेंदा एक ही व्यक्ति है। अतः उन्होंने प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अंदर सिंह ही गेंदा है जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा अंदर सिंह

क्रमशः

को गलत तरीके से जमाबंदी में गेंदा दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)